भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1218

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आतिथ्य क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

†1218. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री अनुराग शर्माः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए देश भर में चुनिंदा स्थलों तक सीमित परियोजनाओं के अतिरिक्त आतिथ्य और होटल क्षेत्र को पूर्ण अवसंरचना का दर्जा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त दर्जा प्रदान किए जाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने, वर्तमान आवास और आतिथ्य अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक संस्थागत वित्त तक पहुंच में सुधार करने और विशेष रूप से टियर-।। और टियर-।।। शहरों में पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने में मदद मिलने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चयन के मानदंडों, वित्तीय परिव्यय और कार्यान्वयन ढांचे तथा उत्तर प्रदेश से चुने गए स्थलों सहित 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बजट 2025-26 में घोषित "चैलेंज मोड" का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत संबंधी महत्व को ध्यान में रखते हुए उभरते पर्यटन गंतव्यों, विशेष रूप से झांसी सहित बुंदेलखंड क्षेत्र को इसी प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) उक्त क्षेत्रों में संधारणीय पर्यटन विरासत संरक्षण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी हाँ। सरकार ने निम्नलिखित आतिथ्य और होटल क्षेत्र को सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया है:

(i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटलों को भारत सरकार द्वारा अवसंरचना का दर्जा दिया जाता है।
(ii) रोपवे और केबल कार
(iii) प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या सम्मिलित रूप से दोनों के न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र* 100,000 वर्ग मीटर)।

(ख): अवसंरचना का दर्जा मिलने से पात्र परियोजनाओं को अवसंरचना के वित्तपोषण में मदद मिलती है, जो लागू नियामक और ऋण संबंधी मानदंडों के अध्यधीन है, जिससे पर्यटन अवसंरचना में निवेश के लिए दीर्घकालिक पूंजी की उपलब्धता में मदद मिलती है, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल है।

(ग) से (ङ): वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में घोषणा की गई कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकास किया जाएगा। प्रमुख अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्यों द्वारा भूमि प्रदान की जानी है, जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में उन गंतव्यों पर स्थित होटल शामिल होंगे।

विभिन्न गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास और पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी) ', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0)' और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास- सीबीडीडी' (स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक पहल) नामक अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति होने पर, योजना दिशानिर्देशों, सरकारी निर्देशों, निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता आदि के अनुरूप ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार, तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों के विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य के साथ 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक योजना के तहत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित स्थिरता के विभिन्न पहलुओं को योजना के उद्देश्य में शामिल किया गया है।
